भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 510

07/02/2025 को उत्तरार्थ

विषय: एमएसपी को वैध बनाने में चुनौतियाँ

510. श्री विवेक के. तन्खाः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों की उपज के लिए उचित और गारंटीकृत कीमतें सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उनका कानूनी अधिकार बनाने का इरादा रखती है;

(ख) एमएसपी को वैधानिक अधिकार के रूप में लागू करने में सरकार द्वारा चिन्हित संभावित चुनौतियाँ और उनके समाधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) मौजूदा एमएसपी स्तरों और खरीद प्रक्रियाओं की उपयुक्तता के संबंध में किसान संघों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निवारण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

(श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मुनाफे के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

एमएसपी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, एमएसपी की घोषणा के पश्चात, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, पीएम-आशा की समग्र योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, पंजीकृत किसानों से उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहन और कोपरा की खरीद, तब की जाती

है, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से कम हो जाता है। सरकार द्वारा कपास और पटसन की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से एमएसपी पर की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए 12 जुलाई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति की विषय-वस्तु में यह भी शामिल है कि (i) कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की व्यावहारिकता पर सुझाव तथा इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय, और (ii) देश की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करना ताकि घरेलू और निर्यात अवसरों का लाभ उठाकर किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के माध्यम से उन्हें अधिक मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, विभिन्न उप-समितियों की 39 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।

(ग): सरकार की मूल्य नीति एमएसपी पर उनकी उपज की खरीद के प्रस्ताव के माध्यम से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। तथापि, किसान अपनी उपज को सरकारी खरीद एजेंसियों को एमएसपी पर या खुले बाजार में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। देश के किसान संवर्धित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सफल कार्यान्वयन से लाभान्वित हुए हैं। विगत पांच वर्षों के दौरान किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि और लाभान्वित किसानों की संख्या का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	**एमएसपी मूल्य (₹ लाख करोड़ में)**	**लाभान्वित किसान (करोड़ में)**
2019-20	2.68	2.15
2020-21	2.91	2.10
2021-22	2.25	1.63
2022-23	2.47	1.68
2023-24	2.63	1.52
